तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	बहस पर मनन किया गया। प्रा० पत्र का अवलोकन किया गया। प्रा० पत्र प्रार्थी खारिज किया जाता है। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 26/5/25 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
26/5/25	पत्रावली पेश हुई। अधि० उभयपक्ष उप०। बहस उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 28/5/25 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
28/5/25	पत्रावली पेश हुई। अधि० उभयपक्ष उप०। प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शा० लि० है। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर उच्चैन (भरतपुर)	

न्यायालय सहायक कलक्टर उच्चैन (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारीः— सुश्री भारती गुप्ता (आर.ए.एस)
प्रार्थना पत्र कमांकः— 12/2021

1. रतन पुत्र बुद्धा जाति जाटव निवासी कुरका तहसील उच्चैन जिला भरतपुर।.....प्रार्थी

बनाम

1.राजकुमारी पत्नि महावीर प्रसाद जाति जाटव निवासी कुरका तहसील उच्चैन जिला भरतपुर।
2.मोहन सिंह पुत्र गिर्राज जाति जाटव निवासी कुरका तहसील उच्चैन जिला भरतपुर

.....अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 212 आर.टी.ए.

उपस्थिति

3. श्री दुलीचंद शर्मा एडवोकेट प्रार्थी
4. श्री धर्मेन्द्र चौधरी एडवोकेट अप्रार्थीगण

निर्णय **दिनांकः—28.05.2025**

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र जरिये अधिवक्ता राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के तहत पेश कर निवेदन किया है कि आराजी ख0 नं0 276 रकबा 5 बीघा 4 विस्वा मु. दर्जे खाता संख्या 206 वाके ग्राम सौनोठी तहसील उच्चैन जिला भरतपुर राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सों के मुताबिक प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की सहखातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी है। नकल जमाबंदी की छायाप्रति प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। अप्रार्थिनी संख्या 01 राजकुमारी ने अपने नाम दर्ज 20/104 हिस्सा आराजी को अप्रार्थी संख्या 02 मोहनसिंह से खरीद की है और इससे पूर्व वादग्रस्त आराजी प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 02 मोहनसिंह के पूर्वजों के जमाने से दोनों के मध्य मनबट से मौके पर वहिस्सा बराबर दो हिस्सों में विभाजित हो रही है। इसी मनबट के आधार पर प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण अब तक अपनी अलग—अलग काश्त करते चले आ रहे हैं परंतु अभी तक इस वादग्रस्त आराजी का वाई मीट्स एण्ड बाउन्ड कानूनी बटवारा नहीं हो पाया है। अब अप्रार्थीगण की नियत में फर्क आ गया है जो आराजी के पुराने मनबट को मानने से इनकार करते हैं तथा मनमाफिक आम रास्ता से लगी रकबा पर

सहायक कलक्टर
उच्चैन (भरतपुर)

जबरन अपना न्यारानूर कब्जा करने को आमादा हो रहे हैं और विवादग्रस्त आराजी के विभाजन को लेकर प्रार्थी से आए दिन झगड़ा करते रहते हैं। प्रार्थी को खुलेआम धमकी दी है कि वह अति शीघ्र ही लाठी के बल पर आम रास्ता से लगी विवादग्रस्त आराजी पर अपना न्यारानूर कब्जा कर लेंगे। इसी वजह से वादी/प्रार्थी को विवादग्रस्त आराजी का जरिये अदालत बाय मीट्स एंड बाउंड कानूनी विभाजन करने हेतु उक्त प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में पेश किया गया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 व02 द्वारा प्रार्थना पत्र का जबाब पेश कर निवेदन किया गया अप्रार्थी संख्या एक व दो की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया एवं निवेदन किया गया कि उक्त प्रार्थना पत्र प्रार्थी वादी द्वारा सच्चाई को छुपाते हुए झूठे तथ्यों पर पेश किया गया है सच्चाई उक्त प्रार्थना पत्र के ठीक विपरीत है सच्चाई यह है कि उक्त आराजी का वर्ष करीब 45 वर्ष पूर्व प्रार्थी वादी एवं अप्रार्थी संख्या 2 के पूर्वजों के मध्य मनबट के आधार पर बंटवारा हो गया था तथा उक्त बंटवारे के समय 45 वर्ष पूर्व उक्त आराजी के बीचों–बीच डौल कायम कर उक्त आराजी को दो भागों में बांट दिया गया था। उक्त बंटवारे के आधार पर आज तक प्रार्थी एवं अप्रार्थी शांतिपूर्वक काश्त करते चले आ रहे हैं उक्त आरजी में दोनों हिस्सों के मध्य डॉल मेड पुरानी कायम है एवं निर्विवादित है। उक्त बंटवारे में दक्षिणी हिस्सा अप्रार्थी संख्या 2 को मिला एवं उत्तरी हिस्सा प्रार्थी वादी को मिला और आज भी इसी प्रकार डॉल मेड कायम हैं। अप्रार्थी संख्या दो ने अपने मनबट हिस्सा दक्षिणी में से करीब 10 वर्ष पूर्व अप्रार्थी संख्या एक को उक्त आराजी के दक्षिणी के दक्षिणी हिस्सा में एक बीघा आराजी अप्रार्थी 1 के हिस्से में दे दी यानी कि दक्षिण से पहले अप्रार्थी एक का दक्षिण से दूसरा अप्रार्थी संख्या 2 का एवं दक्षिण से तीसरा उत्तरी प्रार्थी के कब्जे में था । सन 2021 में अप्रार्थी संख्या दो ने अपने संपूर्ण हिस्सा अप्रार्थी संख्या एक को बेचान कर अपने मनबट 45 साल पुराने हिस्से पर प्रार्थी संख्या एक को कब्जा दे दिया। प्रार्थी उक्त 2021 के हिस्से वाली भूमि हिस्सा को स्वयं लेना चाहता था और इसी से व्यथित होकर हम अप्राथीगण को तंग एवं परेशान करने की नीयत से यह प्रार्थना पत्र पेश किया है जो काबिल खारिज है।

मेरे द्वारा उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गयी। अधिवक्ता प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया की गिर्राज व बुद्धा दो भाई थे जिनमें से एक की मृत्यु हो गई एवं एक बीघा जमीन राजकुमारी को बेच दी। जिसमें दो हिस्से हो रखे थे। पूर्व का प्रतिवादी एवं पश्चिम में वादी ने सरकार से लोन लेकर कुआं बनबाया था। प्रतिवादिनी राजकुमारी, मोहन के सहयोग से कब्जे को डिस्टर्ब करना चाहती है। अतः जब तक बंटवारा नहीं हो जाता तब तक अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा मूल वाद के निस्तारण तक पाबंद किये जाने का निवेदन किया है।

अभिभाषक अप्रार्थीगण द्वारा जबाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2,1/2 हिस्से के खातेदार हैं। उक्त आराजी का मनबट के आधार पर वंटबारा हो गया था। मनबट विभाजन अनुसार उत्तर दिशा में वादी एवं दक्षिण में प्रतिवादी का कब्जा था। प्रतिवादी/अप्रार्थी संख्या 2 से 1 बीघा जमीन अप्रार्थी संख्या 01 ने

सहायक कलक्टर
(भरतपुर)

खरीदी थी। खरीद पश्चात मोहन सिंह के मनबट मुताबिक दक्षिणी हिस्से का दक्षिणी हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 को दे दिया। मोहनसिंह ने शेष हिस्सा भी अप्रार्थी संख्या 01 को बेच दिया। वादी ने नामांतरण रोकने हेतु यह वाद इस न्यायालय में लाया है। वाद पत्र में मनबट बटवारे का पूर्व–पश्चिम होने के संबंध में कोई जिक नहीं है। प्रार्थी का कुंआ उत्तर पश्चिम दिशा में होना बताया।

अभिभाषक प्रार्थी ने अभिभाषक अप्रार्थी की बहस का जबाब करते हुए कथन किया कि कुंआ उत्तर–पश्चिम में नहीं होकर दक्षिण–पश्चिम में है। जब कुआ ही गलत बता रहे हैं तो आराजी के विषय में इन्हें जानकारी नहीं है। अतः जब तक बंटवारा नहीं हो जाता तब तक अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा मूल वाद के निस्तारण तक पाबंद किये जाने का निवेदन किया है।

मेरे द्वारा उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया प्रार्थना पत्र, जबाव प्रार्थना पत्र एवं प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में प्रथमदृष्टया विषयवस्तु (प्राईमाफेसी केस) को समझना आवश्यक है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि चूंकि उक्त विवादित आराजी में प्रार्थी एवं अप्रार्थी सहखातेदार हैं एवं मनबट के बंटवारे के संबंध में स्पष्टता नहीं है। दावा विभाजन का है।जिसके कारण उक्त विवादित आराजी का जब तक बंटवारा नहीं हो जाता तब तक प्रत्येक सहखातेदारों का प्रत्येक इंच पर अपना हक निहित होता है। इस प्रकार प्रकरण में मजबूत प्रथमदृष्या विषयवस्तु/विवाद कारण उत्पन्न होना प्रतीत होता है जिसका निर्धारण दावा के गुणावगुण पर साक्ष्य–सबूत लेकर ही किया जा सकता है।

प्रकरण में अब प्रार्थीगण को होने वाली अपूरणीय क्षति को समझना आवश्यक है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण उक्त आराजी में सहखातेदार होने के कारण अपने खातेदारी अधिकारों की रक्षा हेतु अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधज्ञा से पाबंद करबाना चाहा गया है। दौराने–ए–वाद विवादग्रस्त आराजी की रिकार्ड की स्थिति में यदि परिवर्तन होता है तो वाद के निर्णय के पश्चात प्रार्थीगण के अधिकारों पर नकारात्मक एवं अपूर्णीय क्षति होना प्रबल सम्भावित है इस प्रकार प्रकरण में प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होना प्रतीत होता है।

प्रकरण में अब सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में झुकाव रखने के बारे में समझना आवश्यक है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त विवादित आराजी में प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण सहखातेदार हैं। उभयपक्ष के द्वारा प्रस्तुत दस्ताबेजों एवं जमाबंदी आदि के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त आराजी में विवादग्रस्त आराजी सहखातेदारी की आराजी है, जिसके मनबट बंटवारे के संबंध में स्पष्टता नहीं है। अतः वाद के फैसल होने तक रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति रखने हेतु अस्थाई निषेधज्ञा जारी होने से अप्रार्थीगण को होने वाली असुविधा की तुलना में प्रार्थीगण को होने वाली असुविधा अधिक प्रतीत होने से सुबिधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है।

सहायक कलक्टर
उच्चैन, (भरतपुर)

इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रार्थीगण का प्रकरण में मजबूत विवाद विषयवस्तु प्रकट होने, प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति प्रतीत होने तथा प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से अप्रार्थीगण को हुई असुविधा की तुलना में प्रार्थीगण को होने वाली असुविधा अधिक प्रतीत होने से सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होने के कारण उक्त आराजी पर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः आदेश हैः—

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाता है। उभयपक्ष को अस्थाई निषेधज्ञा ताफैसला वाद इस अम्र की जारी कर पाबंद किया जाता है कि वे विवादित आराजी खसरा नम्बर नम्बर 276 रकबा 5 बीघा 4 बिस्वा वाके ग्राम सौनोठी तहसील उच्चैन (मुताबिक जमाबंदी 2071—2074) में रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखें।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 28.05.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

भारती गुप्ता (आर0ए0एस0)
सहायक कलक्टर
उच्चैन, भरतपुर